

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी  
नाडुवाल पिल डुका श्री  
बि. सायेला  
किस्म मुकदमा :- 88 205 RTA

जिला बांसवाड़ा  
बनाम डुका पिल हमी श्री सायेला

प्रकरण संख्या 57/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
6/1/17	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी नाडुवाल पिता डुका जाति श्री निवासी सायेला ने अन्तर्गत धारा 88 205 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी डुका पिता हमी श्री निवासी सायेला के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 23/1/18 को पेश हो।</p>	
23-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अक्रियाकृत उपस्थित। प्रतिवादी के नाम जारी सम्मन तामिल। अदम तामिल प्रशासक। पत्रावली वादी अक्रियाकृत उपस्थित दिनांक 6.2.18 को पेश हो।</p>	
6.2.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अक्रियाकृत उपस्थित। प्रतिवादी के नाम जारी सम्मन तामिल। अदम तामिल प्रशासक। पत्रावली वादी अक्रियाकृत उपस्थित दिनांक 5.3.18 को पेश हो।</p>	
5.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अक्रियाकृत ने तलबाना पेश करने सम्मन-जाह। अक्रियाकृत प्रशासक दिनांक जाहद पत्रावली वादी तलब दिनांक 20.3.18 को पेश हो।</p>	
20.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अक्रियाकृत उपस्थित। वादी अक्रियाकृत ने तलबाना पेश करने सम्मन -जाह। सम्मन दिनांक जाहद पत्रावली वादी अक्रियाकृत तलब दिनांक 3.4.18 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
गढी, जिला बांसवाड़ा

के दौरान आरंभिक प्रिविज एलए पर प्रेशर हुई प्रकृत  
 में जारी स्वयं से चर्चना-पत्र प्रसार कर आपकी  
 गौरवपूर्ण सतीनाम के जगह से प्रकृत में कार्यकारी क्षेत्र  
 करके विवेक किया। जारी द्वारा अपनी परचाल  
 के क्रम में स्वयं आवाजकार्ड की बाध्यता  
 प्रसार की। अतः जारी द्वारा प्रसार चर्चना-पत्र  
 प्रीक्वाट किया जाकर प्रकृत में कार्यकारी  
 इसी क्रम पर क्षेत्र की जाकर परचाल प्रसार  
 शुभारंभ कर दायित्व दत्त की जारी की।

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*